SM(+) 1238

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प. 1 (142) कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दिनांक 5 JUL 2003

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित),
3. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्तगण, विभागीय जांच विभाग।

परिपत्र

विषयः- सीसीए नियमों के तहत विस्तृत जांच कार्यवाही में लिखित बहस बाबत।

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विस्तृत जांच कार्यवाही के अंतिम चरण में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष दोनों को ही बहस करने का अवसर भी प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में आमतौर पर दोनों ही पक्ष जांच अधिकारी के समक्ष मौखिक बहस के साथ-साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत करते हैं।

सिद्धांततः यदि मौखिक बहस की जाती है तो प्रथमतः अभियोजन पक्ष अपनी बहस जांच अधिकारी के समक्ष रखता है और उस बहस के बिन्दुओं का स्पष्टीकरण, तर्क एवं बचाव आरोपित अधिकारी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष की बहस का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह ध्यान में आया है कि अभियोजन पक्ष की लिखित बहस की प्रति बचाव पक्ष को उपलब्ध नहीं करवाई जाती है जबकि इसी प्रकार यही प्रक्रिया लिखित बहस में भी अनुपालित होनी आवश्यक है क्योंकि लिखित बहस में अभियोजन पक्ष ने क्या तथ्य और मुद्दे उठाये हैं, इसकी जानकारी बचाव पक्ष को नहीं होती है।

अतः समस्त संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त स्थिति का ध्यान रखते हुये राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में वर्णित विस्तृत जांच कार्यवाही में अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी लिखित बहस जांच अधिकारी को प्रस्तुत करने से पूर्व बचाव पक्ष को लिखित बहस की प्रति उपलब्ध करवाते हुये जांच कार्यवाही सम्पादित करें।

रामनारायण
1/7/03
शासन सचिव